पढ़ो परदेश – अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना
(29.09.2017 से प्रभावी संशोधित दिशा–निर्देश)

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय–सूची

क्र॰सं॰	मद	पृष्ठ संख्या
1.	पृष्ठभूमि	3
2.	उद्देश्य	3
3.	विषय क्षेत्र	3
4.	ब्याज इमदाद हेतु शर्तें	3–4
5.	पात्रता	4–5
6.	आय की उच्चतम सीमा	5
7.	अभ्यर्थियों का चयन	5–6
8.	ब्याज की दर	6
9.	कार्यान्वयन एजेंसियां	6
10.	प्रशासनिक व्यय	6–7
11	निगरानी एवं पारदर्शिता	7
12.	अल्प संशोधन/परिवर्तन	7
13.	मूल्यांकन	7
14.	शामिल सूचक विषय/विद्या विशेष	7–8

पढ़ो परदेश – अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना

1. पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। इसमें प्रावधान है कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं बनायी और कार्यान्वित की जाएंगी। विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उनको विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जा सकें और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके।

3. विषयक्षेत्र

यह विदेश में स्नातकोत्तर और एम.फिल/पीएच.डी स्तरों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए ब्याज इमदाद की योजना के अंतर्गत शैक्षिक ऋण हेतु ऋण स्थगन की अवधि के लिए देय ब्याज पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार घोषित किए गए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद प्रदान करने की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

4. ब्याज इमदाद हेतु शर्तें

(i) यह योजना विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए लागू है। ब्याज इमदाद भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के साथ संबद्ध की जाएगी और केवल पैरा 14 में उल्लिखित स्नातकोत्तर, एम.फिल, और पीएच.डी स्तरों के पाठ्यक्रमों में दाखिल विद्यार्थियों के लिए ही होगी।

(ii) इस योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद पात्र छात्रों को एक बार के लिए ही या तो स्नातकोत्तर, एम. फिल अथवा पीएच.डी स्तरों के लिए प्रदान की जाएगी। ब्याज इमदाद उन छात्रों को नहीं दी जाएगी जो किसी कारणवश बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ देते हैं अथवा जिन्हें अनुशासनात्मक अथवा शैक्षिक आधार पर संस्थानों से निष्कासित किया गया है।

(iii) यदि कोई विद्यार्थी योजना की किसी शर्त का उलंघन करता है तो इमदाद उसी समय बंद कर दी जाएगी।

(iv) यदि कोई विद्यार्थी मिथ्या विवरण/दस्तावेज/प्रमाणपत्रों से इमदाद प्राप्त करता हुआ पाया जाता है, तो इमदाद तुरन्त वापिस ले ली/रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की गई इमदाद की राशि कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई के अलावा दांडिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद प्रदान नहीं की जाएगी यदि वह ऋण अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं।

(vi) विनिर्दिष्ट बैंक मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित एक पृथक खाता और रिकार्ड रखेगा और मंत्रालय को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह खाता और रिकॉर्ड मंत्रालय के अधिकारियों अथवा मंत्रालय और महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी द्वारा जाँच/लेखापरीक्षाओं के लिए उपलब्ध होंगे।

(vii) ब्याज इमदाद भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त निधि विनिर्दिष्ट बैंक को, जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार पिछली निमुक्तियों के उपयोग प्रमाण पत्र के प्राप्त हो जाने पर जारी की जाएगी।

(viii) विनिर्दिष्ट बैंक वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगत ब्यौरे अपनी वेबसाईट पर डालेगा और योजना का कार्यान्वयन विनिर्दिष्ट बैंक और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के अनुसार करेगा।

(ix) विनिर्दिष्ट बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थी, जो अ॰जा॰ /अ॰जा॰जा॰/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, उसी प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से ब्याज इमदाद प्राप्त न कर पाएं।

(x) विनिर्दिष्ट बैंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के परामर्श से पात्र विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद प्रोसेस करने और मंजूर करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

(xi) जनगणना 2011 के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार तथा समुदाय–वार कोटा अनुलग्नक–I में दिए गए अनुसार निर्धारित किया गया है। जहां तक संभव है, निर्धारित कोटे के अनुसार ब्याज इमदाद का लाभ अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को दिया जाएगा। एक राज्य अथवा समुदाय में विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर सीटें अन्य राज्यों अथवा समुदाय के लिए अंतरित की जा सकती है।

(xii) इस योजना का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर मंत्रालय अथवा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(xiii) योजना की निबंधन एवं शर्तें, कार्य प्रणाली की बेहतरी और प्रभावी कार्यान्वयन प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यसक कार्य मंत्रालय के विवेकानुसार किसी भी समय बदली जा सकती हैं।

5. पात्रता

(i) विद्यार्थी ने पैरा–14 में दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में अनुमोदित स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी पाठ्यक्रमों में विदेश में दाखिला ले लिया हो।

(ii) उसने इस प्रयोजन के लिए भारतीय बैंक ऐसोसिएशन (आईबीए) की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट बैंक से ऋण प्राप्त किया हो।

(iii) विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत लाभों के लिए आवेदन करना चाहिए। द्वितीय वर्ष या उसके बाद के वर्षों के दौरान प्राप्त नए आवेदन किसी भी मामले में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iv) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उनके कोटे के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा न्यूनतम दर पर ब्याज के अंतर्गत कवर किए गए आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।

(v) वित्तीय लाभ का भुगतान आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो, से जोड़ा जाए। इस संबंध में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकीयों, लाभों और सेवाओं की लक्ष्यित प्रदानगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित, की धारा 7 के अधीन 14 जून, 2017 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2409 (अ) दिनांक 14 जून, 2017 का संदर्भ लिया जाए।

6. आय की उच्चतम सीमा

(i) नियोजित अभ्यर्थी अथवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के मामले में उसके माता–पिता/अभिवावकों की कुल आय सभी स्त्रोतों से प्रति वर्ष 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई आय के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. अभ्यर्थियों का चयन

(i) विनिर्दिष्ट बैंक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निदेशपर योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद के दावे के लिए आवेदनों को प्राप्त करने हेतु एक पोर्टल खोलेगा।

(ii) पोर्टल एक वित्तीय वर्ष में नए आवेदनों के लिए केवल एक बार ही खोल दिया जाएगा। उचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न होने के मामले में, योजना के अंतर्गत उचित मात्रा में निधियां की उपलब्धता के अध्यधीन पोर्टल को एक बार फिर खोला जा सकता है।

(iii) नवीकरण के मामले में पोर्टल को प्रत्येक तिमाही में अथवा मंत्रालय द्वारा निर्णय लिए अनुसार खोला जा सकता है।

(iv) एक चयन समिति द्वारा योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद के दावे के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच तथा ब्याज इमदाद प्रदान करने के लिए अनुशंसा दी जाएगी। चयन समिति की संरचना निम्नलिखित अनुसार होगीः

(क) अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव योजना का प्रभारी : अध्यक्ष
(ख) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अथवा उनका प्रतिनिधि : सदस्य
(ग) विनिर्दिष्ट बैंक का प्रतिनिधि : सदस्य
(घ) योजना का कार्य करने वाला निदेशक/उप सचिव : संयोजक

(v) 35% सीटें बालिका विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। बालिका विद्यार्थियों उपलब्ध नहीं होने पर सीटें बालकों के लिए अंतरित की जा सकती है। समीक्षा की आवधिकता का निर्णय मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(vi) ब्याज इमदाद प्रदान करने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इसके खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।

8. आर्थिक इमदाद की दर

(i) इस योजना के अंतर्गत, आईबीए की शैक्षिक ऋण योजना के तहत निर्धारित ऋण स्थगन की अवधि के लिए (अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि सहित रोजगार पाने के 6 माह या 1 वर्ष, जो भी पहले हो) आईबीए का शैक्षिक ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा भुगतेय ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) ऋण स्थगन की अवधि के पूरा होने पर, बकाया ऋण राशि पर ब्याज विद्यार्थी द्वारा समय–समय पर संशोधित मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार दिया जाएगा।

(iii) ऋण स्थगन की अवधि के पश्चात मूलधन की किस्तें और ब्याज अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

9. कार्यान्वयन एजेंसियां

योजना का कार्यान्वयन बैंक और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा किया जाएगा।

10. प्रशासनिक व्यय

(i) इस योजना के लिए वार्षिक आबंटन के 5% से अनधिक का प्रावधान प्रशासनिक और संबद्ध लागत अर्थात् कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों सहित कार्यालय उपकरणों, विज्ञापनों, कार्मिकों को लगाने तथा कार्यशाला एवं सम्मेलन आयोजित करने के लिए मंत्रालय के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में मंत्रालय द्वारा सफल उद्यमियों/लाभार्थियों को प्रदर्शित करते हुए योजना को लोकप्रिय बनाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित समारोह भी शामिल होंगे। लागत में समारोह को आयोजित करने के लिए टीए/डीए और विविध व्ययों सहित सभी खर्च शामिल होंगे।

(ii) योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक के प्रशासनिक लागत की हिस्सेदारी समझौता ज्ञापन के अनुसार की जाएगी।

(iii) इस प्रावधान का उपयोग योजना के मूल्यांकन और निगरानी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा काम में लगाई गई बाहरी ख्याति प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से भी किया जाएगा।

11. निगरानी एवं पारदर्शिता

(i) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय योजना के निष्पादन की निगरानी करेगा।

(ii) इस प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा एक वेब सक्षम निगरानी तंत्र का निर्माण किया जाएगा।

(iii) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक से तिमाही आधार पर वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिर्पोटों को मंत्रालय को भेजना अपेक्षित होगा।

(iv) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक संस्थान, संस्थान का स्थान, कक्षा, लिंग, नया अथवा नवीनीकरण, स्थायी पता और माता–पिता का पता, संपर्क सूत्र तथा ई–मेल आदि को दर्शाते हुए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का वर्ष–वार, ब्यौरा का रख–रखाव करेगा।

(v) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाईट पर संगत वास्तविक और वित्तीय ब्यौरे रखेगा।

12. अल्प संशोधन/परिवर्तन

बिना किसी वित्तीय विविक्षाओं के योजना में अल्प संशोधन/परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएफसी/ईएफसी/मंत्रिमंडल का आश्रय लिए बिना किए जा सकते हैं।

13. मूल्यांकन

इस योजना के वित्तीय और वास्तविक निष्पादन की निगरानी समय–समय पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ख्याति प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन करके की जाएगी।

14. योजना के अंतर्गत शामिल * सूचक विषय/विद्या विशेष (स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएच.डी के लिए)

उन विषयों/विद्या विशेष की सूची, जिन पाठ्यक्रमों में ब्याज इमदाद लिया जा सकता है, निम्नानुसार है:

1. कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान,
2. वाणिज्य,
3. प्योर साइंस,
4. इंजीनियरिंग,
5. जैव प्रौद्योगिकी/जेनेटिक इंजीनियरिंग
6. औद्योगिक पर्यावरणीय इंजीनियरिंग

7. नैनो– टेक्नोलॉजी
8. मैरीन इंजीनियरिंग
9. पेट्रो–रसायन इंजीनियरिंग
10. प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
11. क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग
12. मेकाट्रॉनिक्स
13. कृत्रिम आसूचना सहित आटोमेशन रोबोटिक्स
14. लेजर टेक्नोलॉजी
15. लो टेम्प्रेचर थर्मल डायनामिक्स
16. दृष्टिमिति
17. आर्ट रेस्टोरेशन टेक्नोलॉजी
18. डॉक एवं हार्बर इंजीनियरिंग
19. इमेजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी
20. विकेन्द्रीकृत बिजली वितरण (सौर ताप के लिए) प्रणाली, ऊर्जा भंडारण इंजीनियरिंग, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा एफीसियेंट हैबिटेट सहित कम्पोजिट मैटेरियल इंजीनियरिंग
21. पैकेजिंग इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी
22. नाभिकीय अभियांत्रिकी
23. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साफ्टवेयर, साफ्टवेयर क्वालिटी एस्योरेंस, नेटवर्किंग/कनेक्टिविटी इंजीनियरिंग, जोखिमपूर्व अथवा आपदा–पश्च दशाओं के तहत–संचार प्रणाली, मल्टी–मीडिया संचार सहित सूचना प्रौद्योगिकी।
24. औद्योगिक सुरक्षा इंजीनियरिंग
25. कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी
26. कृषि विज्ञान
27. मेडिकल
28. पुष्पकृषि एवं लैंडस्केपिंग
29. खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी
30. वानिकी एवं प्राकृतिक संसाधन
31. बागवानी
32. वनस्पति रोग विज्ञान
33. ऊर्जा अध्ययन
34. फार्म पावर और मशीनरी
35. पशु चिकित्सा विज्ञान
36. भूमि एवं जल प्रबंधन
37. वनस्पति प्रजनन और आनुवंशिकी
38. लघु ग्रामीण प्रौद्योगिकी
39. महासागर एवं वायुमंडलीय विज्ञान
40. एम.बी.ए
41. एम.सी.ए
42. *कोई अन्य विषय

* स्थिति की मांग के अनुसार समय–समय पर विषय मंत्रालय द्वारा जोड़े और हटाये जा सकते हैं।

*****

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विदेशी अध्ययनों के लिए पढ़ो परदेश–ब्याज सब्सिडी योजना का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार और समुदाय–वार वितरण								
क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्लॉट का आबंटन– भारत सरकार के अनुसार						
		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	14	2	X	X	X	X	16
2	अरूणाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	X	2
3	असम	18	2	X	X	X	X	20
4	बिहार	30	x	X	X	X	X	30
5	छत्तीसगढ़	x	x	X	X	X	X	2
6	गोवा	X	X	X	X	X	X	2
7	गुजरात	10	x	X	X	x	X	10
8	हरियाणा	4	X	2	X	X	X	6
9	हिमाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	X	2
10	जम्मू और कश्मीर	14	X	x	X	X	X	14
11	झारखंड	8	2	X	X	X	X	10
12	कर्नाटक	14	2	X	X	x	X	16
13	केरल	16	10	X	X	X	X	26
14	मध्य प्रदेश	8	x	x	x	x	x	8
15	महाराष्ट्र	22	2	x	12	2	X	38
16	मणिपुर	x	x	X	X	X	X	2
17	मेघालय	x	4	X	X	X	X	4
18	मिजोरम	X	X	X	X	X	X	2
19	नागालैंड	X	x	X	X	X	X	2
20	ओडिशा	2	2	X	X	X	X	4
21	पंजाब	x	x	28	X	X	X	28
22	राजस्थान	10	X	2	X	2	X	14
23	सिक्किम	X	X	X	X	X	X	2
24	तमिलनाडु	8	8	X	X	X	X	16
25	त्रिपुरा	X	X	X	X	X	X	2
26	उत्तर प्रदेश	62	x	2	x	x	X	64
27	उत्तराखंड	x	X	x	X	X	X	2
28	पश्चिम बंगाल	38	2	X	x	x	x	40
29	अंडमान एवं निकोबार	X	X	X	X	x	X	2
30	चंडीगढ़	X	X	X	X	X	X	2
31	दादर एवं नगर हेवली	X	X	X	X	x	X	2
32	दमन एवं द्वीव	X	X	X	X	X	X	2
33	दिल्ली	4	x	x	X	x	X	4
34	लक्षद्वीप	X	X	X	X	X	X	2
35	पुडूचेरी	X	X	X	X	X	X	2
36	तेलंगाना							
सकल योग		292	48	36	14	8	2	400
X= एक आवंटन के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई समुदाय–वार वितरण नहीं होगा। सभी आवेदन एकत्र किए जाएंगे और निर्णय लिया जाएगा.								
आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य में 50% स्लॉट स्थानांतरित किए जाएंगे								